न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 22/2019 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :-
प्रकाश कुमार पुत्र गिरधारीरामजी जाट निवासी लीलकी फार्म, कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर		1. गिरधारीराम पुत्र नाथारामजी जाति जाट निवासी लीलकी फार्म, कोसेलाव तहसील सुमेरपुर 2. मृत वीरमराम पुत्र नाथारामजी के वारिसान :- 2/1 राजेन्द्रसिंह पुत्र वीरमरामजी 2/2 मोहनलाल पुत्र वीरमरामजी जाति जाट निवासी लीलकी फार्म, कोसेलाव तहसील सुमेरपुर 3. तहसीलदार, सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित

रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2/1 व 2/2 की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित उपस्थित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 30/7/19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम कोसेलाव पटवार हल्का कोसेलाव तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 430 स्वीकृत दिनांक 01.12.1994 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम कोसेलाव के खसरा नम्बर 225/1665 कुल रकबा 5.94 हैक्टेयर कृषि भूमि पन्नाराम, वीरमराम व गिरधारीराम पुत्रगण नाथारामजी के बहिस्सा बराबर खातेदारी की, काश्त व कब्जासुद स्थित थी। पन्नाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात् 1.98 हैक्टेयर भूमि और वीरमराम ने अपने हिस्से में से 1.50 हैक्टेयर भूमि कुल रकबा 3.48 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट को जरिए पंजीबद्ध

जिला कलेक्टर, पाली

विक्रय–पत्र के दिनांक 12.08.1994 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज रजिस्ट्री अनुसार नहीं कर अपनी मनमर्जी से दर्ज कर भारी विधिक भूल की है, जिससे अपीलांट के हक–हकूक प्रभावित हुए है। जिसे सुधारा जाना नितान्त आवश्यक ही नहीं विधी सम्मत भी है। इस प्रकार का नामान्तरकरण Ab initio void and Nonest होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर पटवारी हल्का को पंजीबद्ध दस्तोवज रजिस्ट्र के अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कराने के आदेश प्रदान किए जावें।

अपीलाण्ट को जमाबन्दी की आवश्कता पड़ने पर पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकलें दिनांक 26.06.2019 को प्राप्त की। तब उसे जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में पंजीबद्ध विक्रय पत्र में वर्णित खरीदसुदा रकबे के विपरीत इन्द्राज किया है, जिसके सुधार हेतु अपील की सलाह दी गई, तब अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। अपील जानकारी होते ही पेश कर दी गई, इसलिए जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2/1 व 2/2 ने रेस्पोडेण्टगण का जवाब पेश कर वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण बेचाण रजिस्ट्री के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है तथा अब बेचाण रजिस्ट्री दिनांक 12.08.1994 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, मूल नामान्तरकरण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2/1 व 2/2 के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया जैर अपील नामान्तरकरण पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर दर्ज नहीं किए जाना प्रतीत होता है, जिसके आधार पर अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित हुए है, अपीलाण्ट के हक अधिकारों के प्रश्न के मध्यनजर अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती है। ग्राम कोसेलाव के खसरा नम्बर 225/1665 कुल रकबा 5.94 हैक्टेयर कृषि भूमि पन्नाराम, वीरमराम व गिरधारीराम पुत्रगण नाथारामजी के बहिस्सा बराबर खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा स्थित थी। पत्रावली संलग्न विक्रय विलेख दिनांक 12.08.1994 की प्रति से स्पष्ट है कि पन्नाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात् 1.98 हैक्टेयर भूमि और वीरमराम ने अपने हिस्से में से 1.50 हैक्टेयर भूमि कुल रकबा 3.48 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट प्रकाश कुमार को दिनांक 12.08.1994 को जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज के विक्रय

जिला कलेक्टर, पाली

कर दिया था। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 430 दर्ज किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण पंजीबद्ध विक्रय पत्र अनुसार दर्ज नहीं किया गया है, उसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक गिरधारीराम दोनों का समान हिस्सा दर्ज कर दिया। इस संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2/1 व 2/2 ने अपने जवाब में भी उल्लेख किया कि जैर अपील नामान्तरकरण पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12.08.1994 के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है, अगर अब पंजीबद्ध विक्रय विलेख अनुसार दर्ज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण Ab initio void and Nonest होने से इसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 430 स्वीकृती दिनांक 01.12.1994 ग्राम कोसेलाव, पटवार हल्का कोसेलाव तहसील सुमेरपुर को निरस्त किया जाकर, इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12.08.1994 के अनुरूप अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण के हिस्से की आराजी का इन्द्राज करते हुए पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ मूल नामान्तरकरण के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/7/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली